

कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक/116/प्र.क्र.-04/अ-82/2015 - 16

नारायणपुर, दिनांक 14/03/2017

प्रति,

संचालक  
जनसंपर्क संचालनालय (विज्ञापन शाखा)  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 कंडिका क्रमांक 13 (1) के तहत सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत बेलगांव नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम कोचवाही पटवारी हल्का नंबर 14 रा.नि.मं. व तहसील नारायणपुर, जिला नारायणपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2015-16 का सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय के वेबसाइट में दिनांक 14/03/2017 को अपलोड किया जा रहा है। कृपया एक स्थानीय समाचार एवं एक राज्यस्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर प्रकाशित मेंटर एक-एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- सार्वजनिक सूचना की प्रति।

  
(दामन सिंह सोनवानी)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,

जिला नारायणपुर

नारायणपुर, दिनांक 14/03/2017

पृ.क्रमांक/117/प्र.क्र.-04/अ-82/2015 - 16

प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नारायणपुर को सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. नारायणपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। कृपया वेबसाइट में अपलोड कर सूचना कलेक्टर भू-अर्जन शाखा में देना सुनिश्चित करें।
3. तहसीलदार नारायणपुर को सूचनार्थ।
4. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कोचवाही को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा कर सार्वजनिक करें।

  
(दामन सिंह सोनवानी)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,

जिला नारायणपुर

कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सार्वजनिक सूचना

क्रमांक/ 115 /प्र.क्र.-04/अ-82/2015 - 16


नारायणपुर, दिनांक 14/03/2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि का बेलगांव नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन निजी भू-धारकों की भूमि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण (छत्तीसगढ़) के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया है :-

अनुसूची

भूमि के प्रकार						प्राधिकृत अधिकारी	रिमार्क
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हे. में		
1	2	3	4	5	6	7	8
नारायणपुर	नारायणपुर	ग्राम कोचवाही प.ह.न. 14 बाकुलवाही	श्रीमती लखमी, पति मनुराम	132/2	0.210	कलेक्टर जिला नारायणपुर	बेलगांव नाला सेतु के पहुंच मार्ग
			धनीराम, पिता रैनू	133/1	0.260		
			सरजू, पिता नवलसिंह	131/2	0.180		
			महायोग :-	3	0.650		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वामित्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा/आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर नारायणपुर के समक्ष स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

  
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
(टामन सिंह सोनवानी)

कलेक्टर जिला नारायणपुर, छ.ग. शासन, राजस्व  
एवं आपदा प्रबंधन विभाग